बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 7 / 2018– /पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– नवादा, अररिया एवं सीवान जिला में नवस्वीकृत राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में वर्ष 2018–19 से सत्रारंभ करने हेतु संस्थानों में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, जेनरेटर के क्रय हेतु प्रतिसंस्थान रू॰ 1,00,00,000=00 (एक करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू॰ 3,00,00,000=00 (तीन करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने नवादा, अररिया एवं सीवान जिला में नवस्वीकृत राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में वर्ष 2018–19 से सत्रारंभ करने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संस्थान के वर्गकक्ष, कार्यालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला एवं पुस्तकालय में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, जेनरेटर के क्रय हेतु तत्काल प्रतिसंस्थान रू॰ 1,00,00,000=00 (एक करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू॰ 3,00,00,000=00 (तीन करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

क्रम	संस्थान का नाम	52 01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय	52 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य	स्वीकृत कुल राशि
1.	राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा	रू॰ 10,00,000=00	रू॰ 90,00,000=00	रू॰ 1,00,00,000=00
2.	राजकीय पोलिटेकनिक, अररिया	रू॰ 10,00,000=00	रू॰ 90,00,000=00	रू॰ 1,00,00,000=00
3.	राजकीय पोलिटेकनिक, सीवान	रू॰ 10,00,000=00	रू॰ 90,00,000=00	रू॰ 1,00,00,000=00
	कुल	रू॰ 30,00,000=00	रू॰ 2,70,00,000=00	रू॰ 3,00,00,000=00

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0109–पोलिटेकनिक (निश्चय)" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय तथा 52 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसका विपत्र कोड 43–4202021040109 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार नवादा, अररिया एवं सीवान से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उदव्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 7 / 2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 7 / 2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार नवादा, अररिया एवं सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 7 / 2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा / राजकीय पोलिटेकनिक, अररिया / राजकीय पोलिटेकनिक, सीवान / राजकीय पोलिटेकनिक, गया / राजकीय पोलिटेकनिक, किशनगंज / राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 7 / 2018– 464 /पटना, दिनांक– 16-2-018

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / निदेशक / संयुक्त निदेशक (वि॰) / उप निदेशक (यो) / उप निदेशक (क॰) / बजट सहायक / आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.2.18
सरकार के उप सचिव

16/02/18